(1975) 1 SCR 165

जगता

बनाम

हरियाणा राज्य

23 अप्रैल, 1974

[पी. गगनमोहन रेड्डी और एच. आर. खन्ना, जे. जे.]

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-आपराधिक मामला-का मूल्य।

अभियुक्त को हत्या और बलात्कार करने के प्रयास के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसके खिलाफ साक्ष्य विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य था, जिसमें निम्न शामिल थे- (ए) पीड़ित से संबंधित कुछ छोटे आभूषणों की बरामदगी शामिल थी। (ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक के समक्ष उसके द्वारा की गई एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, (ग)। घटना के दिन घटना स्थल के पास उसकी उपस्थिति, और (घ) अभियुक्त के शरीर पर चोटें।

अपील की अनुमति देना और अभियुक्त को बरी करना।

अभिनिर्धारित: यह न्यायालय आम तौर पर धारा 136 के तहत अपील में पुनः साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करता है, लेकिन मामले में

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में स्पष्ट खामियां हैं। दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को केवल अभियुक्त अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए और जब उचित संदेह हो, तो अभियुक्त इसके लाभ का हकदार है। [172 सी; 171 एफ]

(क) इस साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था कि मृतक घटना के दिन गहने पहने हुए और उन गहने को आरोपी द्वारा मृतक के शरीर से हटा दिया गया था क्योंकि, (i) मृतक के शरीर पर गहने नहीं पाए जाने का एफ. आई. आर. में कोई उल्लेख उसके पिता और उसके शरीर की खोज करने वाले अन्य गवाहों द्वारा नहीं किया गया था। (ii) दिन के उजाले में तैयार की गई जाँच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि मृतक के आभूषणों और कपड़ों से संबंधित रिपोर्ट का एक विशिष्ट कॉलम होता है, (iii) अपराध की प्रकृति से पता चलता है कि अपराध यौन संबंध का है न कि आर्थिक लाभ के लिए; और (iv) यह बहुत कम संभावना है कि आरोपी, जो एक जमींदार था, ऐसे छोटे आभूषणों को अपने घर ले जाएगा और उन्हें अपनी कमीज की जेब में रखेगा, और इस तरह अपराध में अपनी संलिप्तता का सबूत प्रदान करेगा। [169 जी-एच; 170 ए-डी]

(ख) ऐसा कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय, अभियोजन पक्ष के गवाह के घर जाये, उसके सामने एक स्वीकारोक्ति करे, और उसे पुलिस के पास ले जाने के

लिए कहे। चूँकि यह साक्ष्य कि क्या अभियुक्त ने स्वीकारोक्ति दी है, अविश्वसनीय है और संभावित नहीं लग रहा है, इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया गया होता तो स्वीकारोक्ति का क्या मूल्य होता। जाँच एजेंसी द्वारा आभूषणों को हटाने और अभियुक्तों से उनकी बरामदगी के संबंध में एक झूठी कहानी पेश करने का प्रयास भी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार मृत शरीर का पता रात 11:30 बजे तक चला था, लेकिन उससे पहले ही रात 8 बजे पीड़ित के पिता और सरपंच ने यह कह दिया की यह आरोपी ही था जिसने हत्या की थी। इससे पता चलता है कि शव रात 8 बजे तक ही बरामद हो गया होगा। [170ई-जी]

(ग) यह तथ्य कि अभियुक्त दोपहर 1 बजे अपने खेत में था और सूर्यास्त के समय तेज गति से चल रहा था, आवश्यक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा नहीं करेगा, विशेष रूप से जब कोई सबूत न हो। (i) कि खेत में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, और (ii) उस समय के बारे में जब अपराध घटित हुआ था। [171डी]

(घ) यह मानते हुए कि अभियुक्त का स्पष्टीकरण कि उसके शरीर पर आई चोटें पुलिस द्वारा कारित की गई हैं, विश्वसनीय नहीं है, वह

परिस्थिति भले ही संदिग्ध हो, लेकिन मौत की सजा वाले गंभीर अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। [171ई-एफ}

(ई) केवल यह तथ्य कि आरोपी ने घटना से 20 दिन पहले पीड़ित की भाभी के साथ अभद्र मजाक किया था, शायद ही संदेह का, और किसी भी सूरत में इस सकारात्मक दावे का एक वैध आधार हो सकता है, कि यह आरोपी था जिसने मृतक की हत्या की थी। [171एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 149/1973

आपराधिक अपील संख्या 931/1972 और हत्या संदर्भ संख्या 46/1972 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 7 जनवरी, 1973 से विशेष अनुमति की द्वारा अपील।

आर. के. गर्ग, एस. सी. अग्रवाल, एस. एस. भटनागर और वी. जे. फ्रांसिस अपीलार्थी के लिए।

प्रतिवादी के लिए एच. एस. मारवाह और गिरीश चंद्र।

बी. डी. शर्मा, शिकायतकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय खन्ना, जे. द्वारा दिया गया था।

जगता उर्फ जगदीश (34) की विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अपील

पर पुष्टि की गई है और दोषी की सजा का संदर्भ दिया गया है। अपीलकर्ता को फूल पति (23) की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा दी गई। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी दोषी ठहराया गया था और आठ साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने धारा 376 के साथ दंड संहिता की धारा 511 के साथ पढ़ी जाने वाली सजा को बदल दिया और उसे दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

मृतक फूल पति रोहतक जिले में गाँव गुहना के पीडब्लू रूपा की बेटी थी। उनका विवाह गाँव बजाना के हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह से हुआ था। वर्तमान घटना से लगभग दो दिन पहले फुल पति अपने पिता के घर आई थी। 13 जनवरी, 1972 की दोपहर में फूल पति अपने पिता के घर से उनके खेत में घास काटने के लिए निकली । उक्त खेत गाँव फरमाना के क्षेत्र में गाँव गुहना की आबादी से 1.5 कोस की दूरी पर है। तीन गाँव गुहना, फरमाना और रिधाओ एक दूसरे के पास हैं। आरोपी रिधाओ गांव का रहने वाला है। अभियुक्त का खेत फूल पति के पिता रूपा के खेत से सटा हुआ है। आरोप है कि फूल पति शाम को खेत से नहीं लौटी तो उसके पिता रूपा और भाई महा सिंह उसकी तलाश में खेतों में गए। जब वे अपने खेत में पहुँचे तो उन्हें घास का ढेर मिला। वो फूल पति के लिए चिल्लाये

लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। खेस पी1, जिसे फुल पति ने ले लिया था, एक नाले की पट्री पर पड़ा हुआ देखा गया था। रूपा और महा सिंह नाले की पट्री पर भी रूपा के लिए चिल्लाये लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद रूपा और महा सिंह अपने गाँव की आबादी लौट आए और धरम सिंह सरपंच, भीम लम्बरदार और सुबे सदस्य पंचायत और अपने गाँव के अन्य लोगों को बताया कि उनकी बेटी फुल पति का पता नहीं चल पाया है। तब तक अंधेरा हो चुका था। धरम सिंह, भीम, सुबे, रूपा, महा सिंह और चार-पांच अन्य लोगों ने चार लालटेन ली और फूल पति की तलाश में खेतों में चले गए। पार्टी को रिसाला के खेत में फूल पति का शव पड़ा मिला। फुल पति के सलवार की डोर खोल दी गई थी और वह अपना चेहरा नीचे रखते हुए लेटी हुई थी। उसकी चोटी उसके गले में बंधी हुई थी। उसके मुँह और नाक से खून बहता हुआ पाया गया। धरम सिंह, भीम, सुबे और अन्य लोगों को शव के पास छोडकर, रूपा घटना स्थल से 14 मील की दूरी पर पुलिस स्टेशन खरखोदा के लिए रवाना हुए और अगली सुबह 5:30 बजे पुलिस स्टेशन में पी. एफ. रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट में रूपा ने उपरोक्त तथ्य देने के बाद कहा कि उसे मृतक की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधी के रूप में जगता आरोपी पर संदेह था। रूपा के अनुसार, उस संदेह का आधार यह था कि आरोपी ने लगभग 20 दिन पहले उसकी बहू महा सिंह की पत्नी बिरमी (पीडब्लू 3) के साथ अभद्र मजाक किया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उप निरीक्षक गुगन सिंह, एक पुलिस दल को ले गए और रूपा के साथ स्कूटर पर घटना स्थल पर गए। पार्टी सुबह करीब साढ़े आठ बजे घटना स्थल पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर ने पाया कि फूल पति का शव वहाँ पड़ा हुआ था, जिसकी रखवाली धरम सिंह, सरपंच, महा सिंह और अन्य लोग कर रहे थे। जमीन पर खून गिरा हुआ पाया गया। संघर्ष के संकेत भी थे। निरीक्षक ने जाँच रिपोर्ट और चोट का बयान तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेज दिया गया। डॉ. के. के. सेन द्वारा 15 जनवरी, 1972 को सुबह 10 बजे रोहतक में फूल पति के शव का पोस्टमार्टम किया गया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उप निरीक्षक द्वारा आरोपी 14 जनवरी, 1972 को नहीं खोजा जा सका। 15 जनवरी, 1972 की सुबह सब इंस्पेक्टर गाँव फरमाना की सहकारी समिति के कार्यालय में मौजूद थे। बताया जाता है कि उस दिन सुबह करीब साढ़े छह बजे आरोपी गांव फरमाना के पीडब्लू राम सिंह के घर गया और उसे बताया कि फूल पति की खेतों में उसके हाथों हत्या हो गई है और उसने पाप किया है। आरोपी ने राम सिंह से उसे पुलिस के सामने पेश करने का भी अनुरोध किया। राम सिंह ने तदनुसार आरोपी को सुबह 7:30 बजे सहकारी समिति के कार्यालय में उप निरीक्षक गुगन सिंह के सामने पेश किया। सब इंस्पेक्टर ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर द्वारा पूछताछ करने पर

आरोपी ने धरम सिंह और सुबे की उपस्थिति में खुलासा किया कि उसने अपने घर में एक शर्ट की जेब में एक ढोल (गले में पहनने के लिए एक छोटा सा आभूषण) और एक कोका (नाक की पिन) रखा था और उसे बरामद करवा सकता था। इसके बाद उप निरीक्षक द्वारा अभियुक्त का पी. डब्ल्यू. बयान दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी पुलिस दल को फरमाना से दो फरलोंग की दूरी पर रिधाओ गांव में अपने घर ले गया और उसके घर में लटकती शर्ट पी. एस. की जेब से आरोपी ने ढोल पी2 और कोका पी3 बरामद करवाया। शर्ट धोए जाने के बावजूद खून से सना हुआ लग रहा था। ढोल, कोका और कमीज को कब्जे में लिया गया और सील कर दिया गया।

गिरफ्तारी के समय आरोपी के शरीर पर चोटें थीं। उसकी 12.30 पी एम पर डॉ. पवन कुमार से जांच कराई गई। डॉक्टर ने उसके शरीर पर 12 खरोंच पाई। चोटें साधारण थीं और कुंद हथियार से की गई थी। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर ने कहा कि बाएं हाथ में दो खरोंच नाखून या दांत के कारण हो सकती है। जाँच के समय अभियुक्त के अंग पर स्मेग्मा भी पाया गया था।

ढोल पी2 और कोका पी3 के संबंध में पहचान की कार्यवाही 4 फरवरी, 1972 को श्री रानापरताप तहसीलदार (पीडब्लू 10) द्वारा की गई थी। ढोल और कोका को एक अन्य कोका और ढोल के साथ मिलाया गया

था। ढोल पी2 और कोका पी3 को बिरहमी द्वारा सही ढंग से पहचाना गया था, क्योंकि ये मृतक की हैं। कथित ढोल और कोका की पहचान थान सिंह सुनार (पीडब्लू 11) ने भी की थी क्योंकि इनको गवाह द्वारा मृतक के ससुर सूरजा मल के लिए तैयार किया गया था।

मुकदमे में अभियुक्त की दलील सरलता से इनकार करने की थी। अपने शरीर पर लगी चोटों के संबंध में, अभियुक्त ने कहा कि पुलिस ने उसे 14 जनवरी, 1972 को सुबह 10 बजे उसके खेत से बुलाया था और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में रखा गया था। आरोपी ने कहा कि उसके शरीर पर चोटें पुलिस के कारण लगी थीं। राम सिंह के सामने न्यायेतर अपराध स्वीकार करने और उसकी शर्ट की जेब से ढोल और कोका बरामद करने के आरोपों को आरोपी ने खारिज कर दिया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश, रोहतक, जिनके समक्ष अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया, ने अभियुक्त की अतिरिक्त न्यायिक रियायत के साथ-साथ अभियुक्त की निशानदेही पर शर्ट की जेब से ढोल और कोका की बरामदगी के बारे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया। शर्ट पी8 की बरामदगी को आपत्तिजनक स्थिति नहीं माना गया क्योंकि किसी ने यह नहीं बताया था कि घटना के दिन आरोपी ने वह शर्ट पहनी हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा किशना (पीडब्लू 5) और छत्तर सिंह (पीडब्लू 6) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया गया था। किशना के मुताबिक घटना वाले दिन

दोपहर करीब एक बजे उसने आरोपी को अपने खेत में मौजूद देखा था। साक्षी ने उस समय फूल पति को नाले के किनारे अपने पिता के खेत में जाते हुए भी देखा था। छत्तर सिंह पीडब्लू ने बताया कि उस दिन सूर्यास्त के समय, उन्होंने आरोपी को पक्की सड़क पर तेज गति से चलते देखा। आरोपी उस वक्त अपने गांव की ओर जा रहा था। गवाह के टोकने पर भी आरोपी नहीं रुका और बोला कि उसे कुछ काम था। परिणाम में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि पहले बताया गया है।

अपील और संदर्भ पर उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से काफी हद तक सहमत था। अभियुक्त के अंग पर स्मेग्मा की उपस्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय की राय थी कि बलात्कार के अपराध का वास्तव में घटित होना संदिग्ध था। यह माना गया कि आरोपी ने फूल पति के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था।

हमने अपीलकर्ता की ओर से श्री गर्ग और राज्य की ओर से श्री मारवाह को सुना है और हमारी राय है कि आरोपी-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि फूल पति किसी नृशंस हमले का शिकार हुई थी। हमलावर ने न केवल उसके साथ बलात्कार किया या उसका प्रयास किया, बल्कि उसका गला दबाकर हत्या भी कर दी। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. केके सेन के मुताबिक, मृतिका की गर्दन

उसकी चोटी से चारों तरफ कसकर बंधी हुई पाई गई। लिगेचर मार्क क्षैतिज सतत एवं पूर्ण था। लिगेचर मार्क को काटने पर चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त पाया गया। 'फूल पति का चेहरा सूज गया था और सियानोसिस हो गया था, मुंह खुला था और जीभ बाहर निकली हुई थी। उसका चेहरा और नाक खून से सने कीचड़ से सने हुए थे। दाहिने कान से भी खून निकल रहा था. दाहिनी ओर योनि की दीवार पर एक घाव था। बायीं मध्यमा अंगुली पर एक घाव हो गया था। पूरे शरीर पर कई खरोंचें भी थीं। पेट में तीन औंस पचा हुआ भोजन था। डॉक्टर की राय में मौत गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई। डॉक्टर ने वैजाइनल स्मीयर की तीन स्लाइड लीं और वही रासायनिक परीक्षक को भेज दीं, जिसकी रिपोर्ट उस पर वीर्य की उपस्थिति दर्शाती है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि यह आरोपी ही था जिसने फूल पति की गला दबाकर हत्या की थी। उच्च न्यायालय ने आगे पाया है कि मृतक की हत्या आरोपी ने उस समय की थी जब उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने आरोपी से मृतक से संबंधित ढोल पी2 और कोका पी3 की बरामदगी के साथ-साथ राम सिंह पीडब्लू को दिए गए उसके अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे पर भरोसा किया है। अभियोजन द्वारा आगे

इस तथ्य पर भरोसा रखा गया है कि आरोपी घटना के दिन घटना स्थल के पास मौजूद था और उसके शरीर पर चोटें आई थीं।

हम सबसे पहले आरोपी के कहने पर उसके घर से मृतक से संबंधित ढोल पी2 और कोका पी3 की बरामदगी के बारे में सबूतों पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में साक्ष्य में उप निरीक्षक गुगन सिंह (पीडब्लू 16), धरम सिंह सरपंच (पीडब्लू 12) और राजमल लम्बारदार (पीडब्लू 13) की गवाही शामिल है। हमारे पास श्री राणापरताप द्वारा की गई पहचान कार्यवाही में बिरहमी और थान सिंह पीडब्ल्यू द्वारा उन दो आभूषणों की पहचान के बारे में सबूत हैं। अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन किए जाने के बाद, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष का आरोप कि घटना के समय मृतक ने ढोल पी2 और कोका पी3 पहने हुए थे और उन्हें आरोपी द्वारा हटा दिया गया था, बहुत हद तक असंभाव्य है। यदि फूल पति मृतक घटना के दिन ढोल पी 2 और कोका पी 3 पहने हुए थे और जब उनका शव बरामद किया गया तो वे गायब पाए गए थे, तो यह बहुत हद तक असंभाव्य है कि उनके पिता रूपा (पीडब्लू 2) और भाई महा सिंह (पीडब्लू 8) ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब उन्होंने शव को खेतों में पड़ा पाया तो वे दो गहने गायब थे। उस घटना में रूपा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया होता कि ढोल और कोका गायब थे।

हालाँकि, उन दो आभूषणों का या उनके शरीर से निकाले जाने के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं था।

राज्य की ओर से श्री मारवाह ने तर्क दिया है कि यह संभव है कि मृतक के पिता और भाई ने रात के समय उन दो आभूषणों के हटा दिये जाने पर ध्यान नहीं दिया होगा जब उन्हें शव मिला था। ऐसा मानते हुए, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि जब उप निरीक्षक गुगन सिंह द्वारा अगले दिन, दिन के उजाले में जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी तो इस तथ्य का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट में उप निरीक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए रूपा के बयान को दोहराया। जाँच रिपोर्ट का कॉलम नंबर 7 विशेष रूप से मृतक के कपड़ों और आभूषणों की स्थिति से संबंधित है और जाँच रिपोर्ट तैयार करने वाले पुलिस अधिकारी को उस कॉलम में गहने हटाने के कारण मृत शरीर पर हुए किसी भी निशान के बारे में एक प्रविष्टि करनी होती है। यह मान लेना स्वाभाविक है कि उपरोक्त स्तंभ को भरने के समय उप-निरीक्षक रूपा और अन्य लोगों से मृतक द्वारा पहने गए आभूषणों के बारे में पूछताछ करेगा। यह तथ्य कि उपरोक्त स्तंभ के बावजूद, लापता ढोल और कोका का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि इस संबंध में सबूत बाद में पेश किए गए हैं। अपराध की प्रकृति से यह भी प्रतीत होता है कि अपराधी का उद्देश्य शारीरिक सुख का था न कि आर्थिक लाभ। यह सबसे अधिक असंभावित

लगता है कि आरोपी जो एक जमींदार है, मृतक के दो छोटे गहने अपने घर ले जाता और उन्हें अपनी शर्ट की जेब में रखता, भले ही वे दो गहने मृतक की हत्या से संबंधित अपराध में उसकी संलिप्तता के सबूत पेश कर सकते हैं। इसलिए, हम इस सबूत पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि घटना के दिन मृतक ने ढोल पी2 और कोका पी3 पहने हुए थे और उन दो आभूषणों को आरोपी द्वारा मृतक के शरीर से हटा दिया गया था।

जहाँ तक अभियुक्त के कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने राम सिंह (पीडब्लू 4) के साक्ष्य पर भरोसा किया है। उस गवाह के साक्ष्य के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि उसमे सत्य की किसी भी कड़ी का अभाव है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्वीकार्य तौर पर पुलिस 15 जनवरी, 1972 की सुबह गाँव फरमाना में सहकारी समिति के कार्यालय में मौजूद थी। हमें इस बात का कोई कारण नहीं मिलता है कि आरोपी खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय, क्यों गाँव फरमाना में राम सिंह के घर जाये, उसके सामने एक स्वीकारोक्ति करे और उसे पुलिस के सामने आरोपी के तौर पर पेश करने के लिए कहे। हमें कुछ नहीं दिखाया गया है कि आरोपी खुद क्यों नहीं जा सका और पुलिस के सामने पेश हुआ। हमने ऊपर उल्लेख किया है कि इस मामले में आरोपी से मृतक फुल पति से संबंधित आभूषणों की

बरामदगी की कहानी पेश करने का प्रयास किया गया है। जाँच एजेंसी द्वारा मृतक के आभूषणों को हटाने और अभियुक्तों से उनकी बरामदगी के बारे में एक झूठी कहानी पेश करने का प्रयास, हमारी राय में, राम सिंह पीडब्लू को कथित रूप से दिए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करेगा। अतिरिक्त न्यायिक अभियोग के बारे में साक्ष्य जाहीर तौर पर साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है। यदि उसमें संभाव्यता की कमी है जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हम अभियुक्त की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मारवाह ने कुछ मामलों में टिप्पणियों के आधार पर तर्क दिया है कि स्वीकारोक्ति के मूल्य को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के साथ लेकर आंका जाना चाहिए। हमारी राय में यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब स्वीकारोक्ति देने के बारे में विश्वसनीय सबूत हों। यदि, तथापि, न्यायालय यह पाता है कि इस बिंदु पर साक्ष्य कि क्या अभियुक्त ने स्वीकारोक्ति की, वह अविश्वसनीय है और उसमें संभाव्यता की कमी है, तो इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का क्या मूल्य होता यदि उससे जुड़े साक्ष्य को विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया गया होता। यह स्पष्ट है कि स्वीकारोक्ति के मूल्य के

बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब आरोपी द्वारा इसे किए जाने के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से इसका अस्तित्व स्थापित किया जाए।

अब हम उस सबूत पर विचार कर सकते हैं जो घटना के दिन अभियुक्त के घटना के स्थान पर या उसके आसपास देखे जाने के बारे में हैं। इस संबंध में साक्ष्य में किशना (पीडब्लू 5) और चत्तर सिंह (पीडब्लू 6) के कथन शामिल हैं। किशना के अनुसार, उसने आरोपी को दोपहर 1 बजे अपने खेत में काम करते देखा। गवाह ने फूल पति को भी नाले के किनारे के खेतों में जाते देखा। अभिलेख पर ऐसा कोई तत्व नहीं है जो यह इंगित कर सके की घटना किस समय घटित हुई थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उस समय खेतों में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं थे। इन परिस्थितियों में आरोपी की दोपहर 1 बजे अपने खेत में उपस्थिती अभियोजन पक्ष के मामले को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। जहाँ तक चत्तर सिंह पीडब्लू की साक्ष्य का प्रश्न है, हम पाते हैं कि गवाह ने बस इतना कहा है कि आरोपी सूर्यास्त के समय अपने गांव की पक्की सड़क परतेज गति से चलते हुए पाया गया था।गवाह द्वारा टोके जाने पर आरोपी नहीं रुका और कहा कि उसे कुच्छ काम है। यह परिस्थिति भी आवश्यक रूप अभियुक्त के दोष की ओर इशारा नहीं करती।

अंत में, हमारे पास उन चोटों के बारे में सबूत हैं जो अभियुक्त के शरीर पर पाई गई थीं। अभियुक्त का स्पष्टीकरण यह है कि वे चोटें उसे पुलिस द्वारा लगी थीं। यह मानते हुए कि उन चोटों के संबंध में अभियुक्त का स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं है, इस परिस्थिति के साथ-साथ उसके घटना के दिन दोपहर 1 बजे अपने खेतों में मौजूद होने की परिस्थिति और सूर्यास्त के समय उसका अपने गाँव की ओर पक्की सड़क पर जाना, ऐसे गंभीर अपराध के लिए जिसमें मौत की सजा शामिल है अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य केवल अभियुक्त के अपराध के दोषी होने की परिकल्पना के साथ सुसंगत होना चाहिए। ऐसा इस मामले में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सत्यता के के बारे नहीं कहा जा सकता है।

हम एक अन्य परिस्थिति का भी उल्लेख कर सकते हैं। धरम सिंह सरपंच (पी डब्ल्यू 12) के अनुसार फूल पति के मृत शरीर को लगभग 11 बजे या 11.30 पी.एम. शाम को रिसाला के खेत में पाया गया। इसके विपरीत, धर्म (पीडब्लू 7) की साक्ष्य यह है कि उसे उस दिन रात 8 पी एम बजे धरम सिंह और रूपा ने बताया था कि अभियुक्त जगता ने रूपा की बेटी की हत्या कर दी। इस प्रकार धर्म कि साक्ष्य से यह पता लगता है कि फूल पति का शव 8 पी एम बजे से पहले मिला था और धरम सिंह

पीडब्लू कि यह साक्ष्य कि शव 11 बजे या 11.30 पी एम पर मिला था, सही नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि रूपा और धरम सिंह कैसे निश्चित हो सकते हैं कि यह आरोपी था जिसने मृतक की हत्या की थी क्योंकि इस तरह के मामले में, जब कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, तो कोई भी वास्तविक अपराधी के बारे में निश्चित नहीं कह सकता। यह तथ्य कि आरोपी ने वर्तमान घटना से लगभग 20 दिन पहले बिरहमी के साथ एक अभद्र मजाक किया था- संदेह के लिए या किसी भी सूरत में सकारात्मक दावे के लिए शायद ही कोई वैध आधार होगा कि यह आरोपी ही था जिसने मृतक फूल पति की हत्या की थी। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में रूपा पीडब्लू ने आरोपी अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में केवल अपना संदेह व्यक्त किया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धर्मा पीडब्लू के साक्ष्य से पता चलता है कि रूपा और धरम सिंह पीडब्लू ने रात 8 बजे निश्चित रूप से दावा किया कि मृतक की हत्या अभियुक्त द्वारा की गई है। यह संभव है कि रूपा और धरम सिंह के पास अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में कुछ अन्य साक्ष्य सामग्री थी, लेकिन उसे मुकदमे में पेश नहीं किया गया है। वास्तव में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य या तो अविश्वसनीय हैं या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय आम तौर पर अनुच्छेद 136 के तहत किसी अपील में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है,

लेकिन यह तथ्य इस न्यायालय के मामले की जांच करने में बाधा नहीं बनेगा, अगर उसे पता चलता है कि मौत की सजा से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य कुछ स्पष्ट कमज़ोरियों से ग्रस्त हैं। अभियुक्त के शरीर पर चोटों की उपस्थिति उसकी संलिप्तता के बारे में संदेह जरूर पैदा करती है, लेकिन यह संदेह अपने आप से और अन्य अभियोगात्मक सबूतों के अभाव में उसे दोषी नहीं ठहराएगा। किसी भी सूरत में मामला उचित संदेह से मुक्त नहीं है और आरोपी को इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

इसलिए हम अपील स्वीकार करते हैं, आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द करते हैं और उसे बरी करते हैं।

वी.पी.एस अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।